उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-34+23/2012-13

हरिमोहन राय बनाम् झारखण्ड सरकार वगै0

सुकरात राय बनाम् पाउडर राय

-: आदेश :-

दिनांक 14/01/17

अपीलकर्त्ता हरिमोहन राय एवं सुकरात राय तथा उत्तरवादी पाउडर राय के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद आर0एम0ए0 नं0–34/12–13 की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता हरिमोहन राय, पे0–स्व0 वृहस्पति राय, सा0–जोबो रामपुर, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा एवं आर0एम0ए0 नं0–23/12–13 की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सुकरात राय, पे0–स्व0 सुदी राय, सा0–जोबो रामपुर, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। चुँकि दोनों ही अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–06/2006–07 के आदेश दिनांक–04.09.2012 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया गया है। इसलिए दोनों अपील वाद को एक साथ संबंध कर सुनवाई की गयी।

अपीलकर्त्ता हरिमोहन राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार सुदी राय मौजा–जोबोरामपुर के प्रधान थे। गत प्रधान की मृत्यु लगभग 70 वर्ष पूर्व हो चुकी थी एवं गत प्रधान की मृत्यु के बाद मौजा खास होने के कारण मौजा के लगान का खास वसूली राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाता रहा है और मौजा खास होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधान की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया था कि मौजा–जोबोरामपुर के अंतिम प्रधान सुदी राय थे। चूँकि लम्बी अवधि के बाद गत प्रधान सुदी राय के पुत्र ने मौजा के प्रधानी पद पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने गत प्रधान के दावा को खारिज कर दिया और जब अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा

गत प्रधान के पुत्र सुकरात राय के संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दावा को खारिज किया तो ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत दो तिहाई रैयतों के राय के आधार पर प्रधान नियुक्त करने की प्रक्रिया को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत जिसको प्रधान नियुक्त किया जाता है, उसके लिए मौजा के दो तिहाई रैयतों का राय प्राप्त करना आवश्यक होता है। लेकिन इस मौजा के प्रधान नियुक्ति के लिए कुल 207 रैयतों में से 63 रैयतों ने अपना राय प्रकट किया था, जो दो तिहाई रैयतों से कम था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दो तिहाई रैयतों का कॉरम पूरा किये बिना ही उत्तरवादी सं0 2 पाउडर राय को मौजा–जोवोरामपुर का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0 2 पाउडर राय गत प्रधान के वारिश एवं उत्तराधिकारी के अन्तर्गत नहीं आते है। बल्कि वे गत प्रधान के गोतिया है। उत्तरवादी सं0 2 पाउडर राय गत प्रधान सुदी राय के भाई के पोता है। पाउडर राय का संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दावा नहीं बनता था। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने गलत ढंग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। उनका आगे कथन हे कि अपीलकर्त्ता हरिमोहन राय के पक्ष में कुल 70 रैयतों ने हाजरी दिया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के पक्ष में दिये गये आवेदन पर विचार किये बिना ही गलत ढंग से उत्तरवादी सं0 2 पाउडर राय नियुक्त किया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्विचार हेतु अभिलेख निम्न न्यायालय को रिमाण्ड करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता सुकरात राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–जोबोरामपुर के अंतिम प्रधान सुदी राय थे। अपीलकर्त्ता सुकरात राय गत प्रधान सुदी राय के पुत्र हैं एवं पुत्र होने के हैसियत से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर पहला दावा बनता है। अपीलकर्त्ता के आवेदन पर निम्न न्यायालय में पी0ए0 केश नं0–6/2006–07 प्रारम्भ किया गया। इसके बाद

उत्तरवादी पाउडर राय ने गत प्रधान के पोता के आधार पर गलत दावा करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दिया एवं हरिमोहन राय ने भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दिया । निम्न न्यायालय ने आवेदकों के आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–340 / रा0 दिनांक–18.07.2008 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया एवं जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि पंजी–II के अनुसार मौजा–जोबोरामपुर के अंतिम प्रधान सुदी राय, पे0–विशु राय थे एवं उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को केवल आवेदक के सामान्य स्वीकार्यता के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए था। बल्कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर नियुक्त करने के लिए योग्यता के संबंध में विचार कर मौजा का प्रधान नियुक्त करना चाहिए था। अपीलकर्त्ता सुकरात राय अंतिम प्रधान के पुत्र है एवं उत्तराधिकारी के आधार पर योग्य उम्मिदवार है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता सुकरात राय के दावा को अनदेखी करते हुए गलत तरीके से रैयतों के राय के आधार पर उत्तरवादी पाउडर राय को मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश तर्कपूर्ण आदेश नहीं हैं। उनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा विहित प्रपत्र Form-A में नोटिश नहीं दिया गया था। इसलिए अपीलकर्त्ता को रैयतों को लाने हेतु जानकारी नहीं होने के कारण वोटिंग के लिए निर्धारित तिथि को अपीलकर्त्ता के पक्ष में रैयत उपस्थित नहीं हो सके थे। निम्न न्यायालय ने उत्तरवादी पाउडर राय के पक्ष में रैयतों के राय के आधार पर एक तरफा आदेश पारित किया गया। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी पाउडर राय के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा जोबोरामपुर के गत प्रधान विशु राय थे, जिनका वंशावली निम्न प्रकार है :–

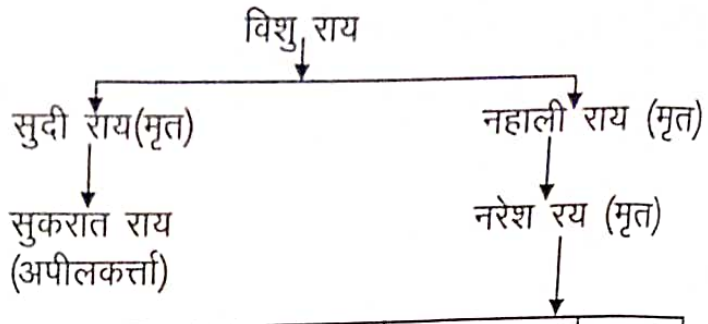

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ने मौजा–जोबोरामपुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत निम्न न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर पी0ए0 केश नं0–06–07 संधारित कर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। उत्तरवादी पाउडर ने भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। साथ एक अन्य हरिमोहन राय ने भी मेकफर्सन पर्चा के प्रधान के उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया। चूँकि हरिमोहन राय का गत गेंजर सर्वे सेटलमेंट में दर्ज प्रधान सुदी राय से कोई संबंध नहीं था। इसलिए हरिमोहन राय के आवेदन को खारिज किया गया एवं दो उम्मिदवार अपीलकर्त्ता सुकरात राय एवं उत्तरवादी पाउडर राय के दावा पर विचार करने हेतु आगे की प्रक्रिया शुरू की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के नियमन के अनुसार भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के दावेदारी पर जबतक अंतिम रूप से विचार नहीं किया जाता है, तबतक गैर वंशानुगत उम्मिदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी एवं मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची की भी माँग की गयी। अंचल अधिकारी , बोआरीजोर ने पत्रांक–829 दिनांक–07.11.2009 के द्वारा उत्तरवादी पाउडर राय के पक्ष में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। इसी बीच मौजा–जोबोरामपुर के रैयत की

ओर से दिनांक–24.09.2008 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध में एवं उत्तरवादी के पक्ष में आवेदन पत्र दिया। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी पाउडर राय के सामान्यतया आम स्वीकार्यता को जानने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दिनांक–20.07.12 का तिथि निर्धारित करते हुए रैयतों के उपस्थित होने एवं अपना राय देने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि को कुल 63 रैयत उपस्थित हुए एवं सभी ने अपना राय उत्तरवादी पाउडर राय के पक्ष में दिया है और अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा रैयतों में आम स्वीकार्यता के आधार पर उत्तरवादी पाउडर राय को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के नियम 3 एवं 4 के तहत मौजा– जोवोरामपुर का प्रधान नियुक्त किया गया। उत्तरवादी पाउडर राय के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के स्वर्णलता देवी बनाम् झारखण्ड सरकार वगै0, दुर्योघन मंडल बनाम घोष्टो मंडल वगै0 एवं माननीय उच्च न्यायालय विहार पटना के जगदीश मिश्रा बनाम् चमकलाल मिश्रा में दिये गये नियमन का हवाला देते हुए उनका कथन उक्त नियमन के अनुसार संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्ति में भी उम्मिदवार के सामान्यतया आम स्वीकार्यता के संबंध में परीक्षण आवश्यक होता है। इस तरह के मामले में दो तिहाई रैयतों का कौरम पूरा करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ सामान्यतया स्वीकार्यता को आम रैयतों में परीक्षण करना है। निम्न न्यायालय ने सामान्यता स्वीकार्यता के आधार पर उत्तरवादी पाउडर राय को मौजा–जोवोरामपुर का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जोवोरामपुर प्रधानी है और मौजा के गत प्रधान सुदी राय थे। अपीलकर्त्ता सुकरात राय गत प्रधान के पुत्र हैं। अपीलकर्त्ता हरिमोहन राय एवं सुकरात राय तथा उत्तरवादी पाउडर राय ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। अपीलकर्त्ता

हरिमोहन राय का गत प्रधान सुदी राय से संबंध नहीं होने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा उनका दावा को खारिज किया गया और निम्न न्यायालय के द्वारा गत प्रधान सुदी राय के पुत्र सुकरात राय को उत्तरशिकारी के आधार पर नियुक्त नहीं करके कुल 207 रैयतों में से 63 रैयतों के राय के आधार पर उत्तरवादी पाउडर राय को मौजा–जोवोरामपुर का प्रधान नियुक्त किया गया जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के W.P(C) No.-3064/2001 Smt. Swarnlata Devi Vs State of Jharkhand and ors. में Operative part के पारित न्यायादेश यह है कि

"In view of the discussions made above, we partly allow this appeal and modifying the direction of the learned Single Judge, direct the Sub-Divisional Officer to ascertain the views of the Jamabandi raiyats of the village on the question of fitness of the appellant to succed to the post in terms of clauses 3 and 4 of schedule 5 of the Rules by procedding in terms of Rule 3(5) of the General rules. In case the appellant is found to be unfit for holding the post of village Headman, the sub-Divisional officer will proceed in terms of Rule3 of the main Rules and appoint a fresh Headman with the consent of at least two-third of the Jamabandi raiyats of the village. In view of the fact that this dispute has been pending for a longtime, we direct the sub-Divisional officer to expedite the proceeding and take a decision on the appointment of the Headman for the village in question as expedtiously as possible and, at any rate, within four months from the date of receipt of this order."

निम्न न्यायालय के द्वारा गत प्रधान के पुत्र सुकरात राय के योग्यता के संबंध में विचार किये बिना रैयतों के राय के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के दावेदार सुकरात राय के दावा को खारिज करके पाउडर राय को नियुक्त किया गया है जो नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। मौजा के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के Next heir के आधार पर अपीलकर्त्ता सुकरात राय का ही दावा स्वीकार्य योग्य प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–06/06–07 में दिनांक–04.09.12 के आदेश को खारिज किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के Next heir के आधार पर पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रति प्रेषित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/04/17
उपायुक्त,
गोड्डा।

14/04/17
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 13:10:07 +05:30
Location: 192.168.29.32